न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 51/2014/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 10.6.2014
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

राजेश आत्मज बजरंगलाल जाति मीणा निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बूंदी (राज0)।

... अपीलार्थी

बनाम

1. छोटूलाल
2. श्यामलाल
   पिसरान लाला जाति मीणा निवासीगण अडीला तहसील के0 पाटन जिला बूंदी
3. छोटीबाई पत्नी बजरंगलाल जाति मीणा निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बूंदी–राज0।
4. सुगना
5. ममता
6. विमला
   पुत्रिया बजरंगलाल जाति मीणा निवासीगण अडीला के0 पाटन जिला बूंदी राज0।
7. कजोडी
8. पुष्पा
   पुत्रियां लाला जाति मीणा निवासीगण अडीला तहसील के0 पाटन जिला बूंदी।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के0 पाटन जिला बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री हेमराज मीणा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 व 2
श्री अमृत मीणा अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–3,4,5,6
श्री नीरज कुमार मीणा रेस्पो0 क्रम–7

:::निर्णय:::

दिनांक 10.4.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) के0 पाटन (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पत्रावली संख्या 10/2014 बउनवान गोराबाई वगेरा बनाम छोटूलाल मे पारित निर्णय दिनांक 2.5.2014 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम अडीला के खसरा नम्बर 89 रकबा 0.32, 719 रकबा 0.53, 806 रकबा 0.30, 1426 रकबा 0.52, 1427 रकबा 1.52, 1624 रकबा 1.65, 1624/1722 रकबा 002 है0 किता 7 कुल रकबा 4.86 है0 भूमि छोटूलाल, श्यामलाल पि0 लाला हि0 2/6 कजोडबाई, पुष्पाबाई पुत्रिया

लाला हि0 2/6 गोरबाई बेवा लाला हि0 1/6 राजेश पुत्र बजरंगलाल , सुगना, विमला, ममता पुत्रिया बजरंगलाल छोटीबाई बेवा बजरंगलाल हि0 1/6 कौम मीना सा0 देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। छोटूलाल, श्यामलाल पिस0 लाल जाति मीणा नि0 अडीला द्वारा वसीयत के आधार पर भूमि का नामा0 खोलने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार (भू0अ0) के0 पाटन के यहां पेश किये जाने पर तह0 के0 पाटन द्वारा ग्राम अडीला की उक्त भूमि गोराबाई बेवा लाला जाति मीणा नि0 अडीला के स्थान पर वसीयत ग्रहिता छोटूलाल, श्यामलाल पिस0 लाला जाति मीणा निवासी अडीला के नाम रेकार्ड मे हि0 1/6 के रूप मे अलग से दर्ज किये जाने का दिनांक 2.5.2014 को निर्णय पारित किया गया जिसकी पालना मे नामा0 सं0 928 दि0 3.5. 2014 को तस्दीक किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी राजेश द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील इस न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर नही किया कि उक्त वर्णित आराजी अपीलांट का पुश्तैनी भूमि है जिसमे अपीलांट का जन्म से ही स्वत्व निहित है। गोरा बेवा लाला (अपीलांट की दादी) का उक्त भूमि मे केवल मात्र जीवित अवस्था तक भरण पोषण का ही अधिकार था तथा गोरा बेवा लाला को उक्त भूमि को किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित करने व वसीयत करने का कानूनन अधिकार प्राप्त नही था ऐसी स्थिति मे गोराबाई द्वारा रेस्पो0 क्रम 1 व 2 के पक्ष मे कानूनन वसीयत नही की जा सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी रिपोर्ट दिनांक 19.2.2014 पर गोर नही किया जिसमे गोरा बाई की मृत्यु दिनांक 25.1.2014 को होना बताया जाकर अंकित किया है कि गोराबाई मृत्यु के 6 माह पूर्व से ही लकवा से ग्रस्त थी तथा चलने फिरने एवं सोचने समझने मे असमर्थ हो गयी थी। उक्त तथ्य पत्रावली मे विद्यमान होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय उक्त नामा0 तस्दीक कर दिया जो कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण मे स्वतंत्र गवाह नही होने से वसीयतनामा संदेहास्पद प्रतीत होता है। जेरअपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया गया इसलिये जेरअपील आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अपीलांट एवं रेस्पो0 अनुसूचित जन जाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम कानूनन लागू नही होता है। उपरोक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकारकी जाकर तहसीलदार के0 पाटनद्वारा पारित आदेश दिनांक 2.5.2014 के आधार पर पारित नामान्तरकरण संख्या 928 दिनांक 3.5.2014 निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्याया0 का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 क्रम–1 व 2 के अभिभाषक की सुनी गई। रेस्पो0 क्रम–3 लगायत 7 के अभिभाषक दौराने बहस उपस्थित नही हुये।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त वर्णित आराजी अपीलांट पुश्तेनी भूमि है तथा पक्षकार मीणा जाति के है जो अनुसूचित जन जाति मे आते है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम कानूनन लागू नही होता है ऐसी स्थिति मे कानूनन वसीयत करने का अधिकार गोरा बाई को नही था गोराबाई को केवल मात्र जीवित अवस्था तक भरण पोषण का ही अधिकार था। बहस मे आगे बताया कि गोराबाई की मृत्यु 25.1.2014 को हुई व वसीयत 30.9.2013 की है जो 4 माह पूर्व की है पटवारी रिपोर्ट मे गोराबाई मृत्यु के 6 माह पूर्व से ही लकवा ग्रस्त तथा चलने फिरने एवं सोचने समझने मे असमर्थ होना वर्णित है। प्रकरण मे स्वतंत्र गवाह नही है ऐसी स्थिति मे वसीयत की प्रमाणिकता सिद्ध नही होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया अतः जेरअपील आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे जेरअपील आदेश एवं नामा0 विधिसम्मत नही है लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे तथा विवादित आराजी का नामान्तरकरण प्राकृतिक उत्तराधिकारियो के नाम तस्दीक करने का आदेश प्रदान किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–1 व 2 के अभिभाषक ने बहस मे प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वसीयत की प्रमाणिकता सिद्ध होने उपरांत जेरअपील आदेश पारित किया है जिसकी पालना मे नामान्तरकरण

तस्दीक किया गया है। वसीयत नोटेरी से तस्दीक है। उमाशंकर एडवोकेट द्वारा वसीयत कर्ता की शिनाख्त व गोरा बाई द्वारा वसीयत किये जाने के संबध मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है जिससे वसीयत किया जाना प्रमाणित है। पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट के खाली पेपरो पर हस्ताक्षर करवाये गये थे कोई गवाह व पहचान के हस्ताक्षर नही है धनराज, जानकीलाल के हस्ता0 संदेहास्पद है रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है। इन्होने कोई शपथ पत्र आदि पेश नही किये है। भूमि खरीदी गई है अतः स्वअर्जित भूमि होने तथा गोरा बाई भूमि की रेकार्डेड खातेदार होने से उसको अपने हिस्से की भूमि की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। वसीयत से अपीलांट को किसी प्रकार की आपत्ति है तो वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय मे चुनोती देने के लिये अपीलांट स्वतंत्र है। अपने तर्क के समर्थन मे आरआरउी 2000 पेज 280, आरआरडी 2000 पेज 556 आरआरटी 2018 (1) (एचसी) पेज 88 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक, अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट क्रम–1 व 2 के अभिभाषक पर मनन किया। तहसीलदार (भू0अ0) के0 पाटन द्वारा वसीयत साक्ष्यो के आधार पर सही होना प्रमाणित होने तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 (3) मे वर्णित सहदायिक सम्पत्ति के विवरण के आलोक मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 30 (4) के अन्तर्गत सहदायिक द्वारा वसीयत की जा सकती मानकर ग्राम अडीला के खसरा नम्बर 89 रकबा 0.32 ख0 नं0 719 रकबा 0.53 ख0 नं0 806 रकबा 0.30 ख0 नं0 1426 रकबा 0.52 ख0 नं0 1427 रकबा 1.52 ख0नं0 1624 रकबा 1.65 ख0नं0 1624/1722 रकबा 002 है0 किता 7 कुल रकबा 4.86 है0 भूमि मे हिस्सा 1/6 दर्ज गोराबाई बेवा लाला जाति मीणा निवासी अडीला के स्थान पर वसियत ग्रहिता छोटूलाल श्यामलाल पिस0 लाला जाति मीणा नि0 अडीला के नाम रेकार्ड मे हि0 1/6 हि0 दर्ज किये जाने का दिनांक 2.5.2014 को निर्णय पारित किया गया जिसकी पालना मे नामा0 सं0 928 दिनांक 3.5.2014 तस्दीक किया गया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का भूमि स्वअर्जित होने संबधी तर्क समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे स्वीकार योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य/सबूतो से गोराबाई द्वारा वसीयत किया जाना प्रमाणित होने एंव भूमि स्वअर्जित होने तथा गोरा बाई भूमि की रेकार्डेड खातेदार होने से उसको अपने हिस्से की भूमि की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार होना मानते हुये जेरअपील निर्णय निर्णय दिनांक 2.5.2014 पारित किया है जिसके आलोक मे नामान्तरकरण सं0 928 दिनांक 3.5.2014 तस्दीक किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रकट नही होता है। अपीलांट वसीयत से किसी प्रकार व्यथित है तो वह उसको सक्षम सिविल न्यायालय मे चुनोती देने के लिये स्वतंत्र है। उक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नही है। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज की जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 10/2014 बउनवान गोराबाई वगेरा बनाम छोटूलाल मे पारित निर्णय दिनांक 2.5.2014 एंव नामा0 सं0 928 दिनांक 3.5.2014 यथावत रखा जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 10.4.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा